(d) if so, the names of such Institutions, formalities, periodicity, eligibility criteria and charges fixed for each course?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) and (c) Yes, Sir.

(b) and (d) The information has been compiled in the form of a book titled "Para Medicals Training in India-1991". Copies have been made available to the Parliament Library.

मिनी और माइक्रो जलविद्युत परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता

*817. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिजली उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में मिनी और माइक्रो जलविद्युत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी राज्य सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु इस प्रकार की परियोजनाओं का विवरण भारत सरकार को भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार किन-किन परियोजनाओं को वर्ष 1994-95 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई और इस वर्ष किन-किन परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी ?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की पूंजीगत आर्थिक राज सहायता योजना के अंतर्गत 17 राज्यों में, पहाड़ी और उत्तर पूर्व क्षेत्रों सहित, 3 मेगा क्षमता तक की लघु पन बिजली परियोजनायें शुरू की गई हैं। इसके अलावा पहाड़ी और उत्तर पूर्व क्षेत्रों में माइक्रो हाइडिल पोटेंबल सैटों के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है। सर्वेक्षण और जांच पड़ताल तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संवर्द्धनात्मक प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय की पूंजीगत आर्थिक राज सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्यों से 29 लघु पन बिजली परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने के पश्चात् इस योजना के अंतर्गत 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वर्ष 1994-95 के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए) विभिन्न राज्यों से प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाना और उन्हें मंजूरी प्रदान करना एक सतत् प्रक्रिया है और आर्थिक राज सहायता हेतु प्रस्तावों को, विभिन्न शर्तों को पूरा किए जाने, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर, मंजूरी दी जाती है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान मंजूर किए गए प्रस्तावों का विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	राज्य/परियोजना का नाम	एजेंसी	यूनिट आकार (किवा.)	वर्ष 1994-95 के दौरान निर्मुक्त की गई राशि
1	2	3	4	5
हिमाचल प्रदेश :				
1.	गुम्मा	एचपीएसईबी	2X1500	54.000
	उप-जोड़			54.000

1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश :				
2.	मुकर्त्ती	टीएनईबी	2×350	11.340
3.	तिरूमूर्ति	टीएनईबी	3×650	13.160
4.	तरूनचनी	टीएनईबी	2×650	8.775
5.	अलियार	टीएनईबी	2×1250	16.870
	उप-जोड़ :			50.145
मध्य प्रदेश :				
6.	बरना	एमपीईबी	2×750	10.125
7.	बीरसिंह पुर	एमपीईबी	2×1100	14.850
8.	कोर्बा सें-11	एमपीईबी	1×1000	6.250
9.	मासनसाल	एमपीईबी	1×2700	20.250
10.	कोलार	एमपीईबी	1×500	13.500
	उप-जोड़ :			64.975
बिहार :				
11.	नेतरहाट	बीएसएचपीसी	1×50	—
12.	सानी	बीएसएचपीसी	2×500	—
13.	लोअर घाघरी	बीएसएचपीसी	2×200	—
	उपजोड़ :			
पश्चिम बंगाल :				
14.	रोंगमुक और सेडारस	डब्लयूबीआरईडीए	4×125	32.400
15.	मुंगपू रम्भी खोला	डब्लयूबीआरईडीए	4×500	24.190
16.	मुंगपू खाली खोला	डब्लयूबीआरईडीए	4×750	29.500
	उप-जोड़ :			86.090
मणिपुर :				
17.	सिंगाडा	1/विभाग	3×250	10.224
18.	मकलंग	एमईएसपीडीएस	3×500	केवल सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन
	उप-जोड़ :			10.224
मेघालय :				
19.	गलवांग	एमएनआरईडीए	2×50	2.250
20.	रोंगप	एमएनआरईडीए	2×50	2.000
	उप-जोड़ :			4.250
		कुल जोड़ :		268.684